अध्याय 5 आधार सूचना प्रणाली की सुरक्षा

5.1 प्रस्तावना

आधार प्रमाणीकरण ढांचे में आर ई तथा ए एस ए सम्मिलित हैं। ये संस्थाएं सत्यापन उद्देश्यों के लिए आधार धारक की बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करती हैं। आधार नंबर धारकों तथा यू आई डी ए आई के साथ उनकी बातचीत डिजिटल मोड के माध्यम से होती है। आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 तथा समय-समय पर अधिसूचित यू आई डी ए आई के अन्य निर्देशों में उन व्यवस्थाओं पर निर्देश सम्मिलित हैं जो प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित सभी संस्थाओं को निवासियों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पालन करना चाहिए। ई-अनुपालन की निगरानी में विनियम यू आई डी ए आई के उत्तरदायित्वों को पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों- ए एस ए, ए यू ए, के यू ए आदि द्वारा अपने निर्देशों के साथ निर्दिष्ट करता है।

आर ई तथा ए एस ए की गतिविधियों की निगरानी के लिए यू आई डी ए आई द्वारा विनियमों के प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

5.2 यू आई डी ए आई के प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों की गतिविधियों की निगरानी

आधार धारकों को प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता संस्थाओं (ए यू ए) या ई-केवाईसी उपयोगकर्ता संस्थाओं (के यू ए) के माध्यम से आधार समर्थ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ए यू ए/ के यू ए के अतिरिक्त ऐसे उप-ए यू ए हैं जो मौजूदा अनुरोधकर्ता इकाई (आर ई) के माध्यम से अपनी सेवाओं को समर्थ करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करते हैं। आधार अधिनियम 2016, आधार (प्रमाणीकरण) विनियम, 2016, आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम 2016 तथा यू आई डी ए आई द्वारा जारी अन्य निर्देश इन संस्थाओं के उत्तरदायित्वों तथा गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। चूंकि, प्रमाणीकरण सुविधा आधार धारक की जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करती है इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तथा प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना अनिवार्य था कि ये संस्थाएं अपनी सूचना प्रणाली का संचालन तथा रखरखाव करते समय यू आई डी ए आई द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करती हों।

यू आई डी ए आई द्वारा प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों की गतिविधियों की निगरानी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नलिखित पैराग्राफों में हैं।

5.2.1 आर ई तथा ए एस ए के संचालन की वार्षिक सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा

यू आई डी ए आई न तो आवश्यक आश्वासन प्राप्त करने में सक्षम था कि प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित संस्थाओं ने अपनी सूचना प्रणाली बनाए रखी थी जो निर्धारित मानकों के अनुरूप थी और न ही नियुक्त संस्थाओं द्वारा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा का अनुपालन करना सुनिश्चित किया।

प्रमाणीकरण पर यू आई डी ए आई विनियमों के अनुसार आर ई तथा ए एस ए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यू आई डी ए आई के मानकों तथा विनिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक आधार उनके संचालन तथा पद्धति की लेखापरीक्षा किसी मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा विधिवत प्रमाणित एक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक द्वारा किया जायें। इन लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, अनुरोध पर प्राधिकरण के साथ साझा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आर ई अपने उप-ठेकेदारों के प्रमाणीकरण कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि ऐसी तृतीय-पक्ष संस्थाओं के प्रमाणीकरण संबंधी संचालन यू आई डी ए आई द्वारा निर्धारित मानकों तथा विशिष्टताओं का अनुपालन करते हों। अनुमोदित स्वतंत्र लेखा परीक्षा संस्थाओं द्वारा सभी इकाइयों के संचालन की नियमित रूप से लेखा परीक्षा की जानी है।

महत्वपूर्ण सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा आवश्यकताओं को **तालिका 5.1** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.1: सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा अपेक्षाएं

आर ई	ए एस ए	यू आई डी ए आई
• वार्षिक आधार पर किसी मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक द्वारा इसके संचालन तथा प्रणालियों की लेखापरीक्षा सुनिश्चित करें। • अनुरोध पर प्राधिकरण के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट साझा करें। • प्रमाणीकरण संचालन तथा तीसरे पक्ष द्वारा इसके उप-संविदा के परिणामों के लिए उत्तरदायी। • सुनिश्चित करें कि ऐसी तृतीय-पक्ष संस्थाओं के प्रमाणीकरण संबंधी संचालन प्राधिकरण मानकों तथा विशिष्टताओं का अनुपालन करते हैं तथा अनुमोदित स्वतंत्र लेखा परीक्षा संस्थाओं द्वारा उनकी नियमित रूप से लेखा परीक्षा की जाती है।	• सुनिश्चित करें कि किसी मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा प्रमाणित एक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक वार्षिक रूप से इसके संचालन की लेखापरीक्षा करता है।	• अनुरोध करने वाली संस्थाओं के संचालन, बुनियादी ढांचे, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा, जिसमें वे एजेंसियां या संस्थाएं सम्मिलित हैं जिनके साथ उन्होंने लाइसेंस कुंजी साझा की है या वे संस्थाएं जिनकी ओर से उन्होंने प्रमाणीकरण किया है, तथा प्रमाणीकरण सेवा संस्थाओं, या तो स्वयं या इनके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा संस्थाओं के माध्यम से किया गया हों। • प्राधिकरण या तो स्वयं या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक लेखापरीक्षक के माध्यम से उपरोक्त का संचालन कर सकता है तथा लेखा परीक्षा की लागत संबंधित इकाई द्वारा वहन की जाएगी।

प्रमाणित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राधिकरण को अनुरोध पर या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समयावधि पर प्रस्तुत की जानी हैं। उपरोक्त लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, विनियम प्राधिकरण को या तो स्वयं या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक के माध्यम से ऐसी संस्थाओं या व्यक्तियों के संचालन तथा प्रणालियों के लेखापरीक्षा करने का अधिकार देता है।

इस प्रकार, विनियम प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित सभी संस्थाओं को अपनी सूचना प्रणाली को यू आई डी ए आई मानकों के पूर्ण अनुपालन में रखने के लिए अनिवार्य करता है तथा यू आई डी ए आई को अपनी बारी में स्वतंत्र लेखापरीक्षा के माध्यम से अनुरूपता की निगरानी करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम यह निर्धारित करता है कि यू आई डी ए आई को रजिस्ट्रार, ई ए, आर ई तथा ए एस ए द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करना चाहिए तथा आंतरिक लेखापरीक्षा या स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए। यू आई डी ए आई ने तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी यू आई डी ए आई प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों की सूचना सुरक्षा मूल्यांकन करने के लिए संस्था के रूप में मैसर्स डेलॉइट टौच तोहमत्सु इंडिया एलएलपी (डी टी टी आई एल एल पी) को पैनल में सम्मिलित किया (अप्रैल 2018)। व्यवस्था के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण विनियम 2016 में निर्धारित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन को प्रारंभ करने के लिए प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र भागीदार व्यक्तिगत रूप से डी टी टी आइ एल एल पी तक पहुंचेंगे। संस्था वर्ष में एक बार सूचना सुरक्षा मूल्यांकन करेगी तथा संबंधित इकाई को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। डी टी टी आइ एल एल पी को हर माह के अंत में यू आई डी ए आई को लेखापरीक्षित भागीदार का नाम बताना था।

लेखापरीक्षा कवरेज के पांच वर्षों के अंतर्गत किए गए आर ई तथा ए एस ए की लेखापरीक्षा का विवरण **तालिका 5.2** में है।

तालिका 5.2: आर ई तथा ए एस ए की आई एस लेखापरीक्षा का विवरण

वर्ष	अनुरोध करने वाली संस्था			प्रमाणीकरण सेवा संस्थाएं		
	एजेंसियां	संस्थायें जिनकी लेखापरीक्षा आईएस लेखापरीक्षक द्वारा की गयी थी	संस्थायें जिनकी लेखापरीक्षा यूआईडीएआई द्वारा की गई थी	एजेंसियां	संस्थायें जिनकी लेखापरीक्षा आईएस लेखापरीक्षक द्वारा की गयी थी	संस्थायें जिनकी लेखापरीक्षा यूआईडीएआई द्वारा की गई थी
2014-15	92	एनए[46]	एनए	16	एनए	एनए
2015-16	223	2	एनए	23	एनए	एनए
2016-17	355	121	8	27	3	1
2017-18	308	110	29	26	3	3
2018-19	204	106	8	27	9	1

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि किसी भी आर ई या ए एस ए ने अपने संचालन की वार्षिक लेखापरीक्षा, प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक के माध्यम से या तो स्वयं या यू आई डी ए आई द्वारा नहीं करायी गयी थी।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि यू आई डी ए आई विनियमों ने सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक द्वारा आर ई एवं ए एस ए दोनों के संचालन तथा प्रणालियों की वार्षिक लेखापरीक्षा निर्धारित की थी, जिसका अनुपालन बहुत खराब था। यू आई डी ए आई भी आर ई तथा ए एस ए के संचालन, बुनियादी ढांचे, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा के लिए या तो स्वयं या इसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा संस्थाओं के माध्यम से अपने विशेषाधिकार को कार्यान्वित करने में विफल रहा। इस प्रकार यह आवश्यक आश्वासन कि, प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित संस्थाएं यू आई डी ए आई मानकों के पूर्ण अनुपालन में अपनी सूचना प्रणाली का रखरखाव कर रही हैं, प्राप्त करने में असमर्थ था।

यू आई डी ए आई ने सूचित किया (जनवरी 2020) कि यू आई डी ए आई तथा रजिस्ट्रारों के बीच अनुबंध ज्ञापन में नामांकन प्रक्रियाओं की सामयिक लेखापरीक्षा के प्रावधान हैं। यह कहा गया कि आर ओ ने रजिस्ट्रार, ई ए और स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल (एस एस यू पी) के नामांकन संचालन का तथा बी पी ओ द्वारा प्रदान की गयी बैक-एंड सेवाओं की लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण किया। टिप्पणी का उत्तर प्रसांगिक नहीं था, चूंकि यह यू आई डी ए आई तथा रजिस्ट्रारों के बीच अनुबंध ज्ञापनों से संबंधित है तथा नामांकन प्रक्रियाओं के अनुपालन से संबंधित है, जबकि, लेखापरीक्षा टिप्पणी आर ई तथा ए एस ए के प्रमाणीकरण

[46] एनए का अर्थ है- डेटा यू आई डी ए आई के पास उपलब्ध नहीं है।

संबंधी संचालन के प्रमाणीकरण विनियमों के अंतर्गत आईएस लेखापरीक्षा की आवश्यकता से संबंधित है।

यू आई डी ए आई ने पुनः सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि ए यू ए द्वारा आई एस लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगातार वृद्धि हुई है अर्थात 2016-17 तथा 2017-18 में लगभग 35 प्रतिशत से 2018-19 में 52 प्रतिशत तक था एवं आर ई के साथ इस पहलू के लिए प्रयास किया गया तथा उन्हें प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से लेखा परीक्षा के महत्व को संवेदनशील बनाया|

यू आई डी ए आई ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वर्तमान बाधाओं के दौरान तीन वर्ष के चक्र के भीतर अपने द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा मौजूदा आर ई तथा ए एस ए का लेखापरीक्षा करने की संस्तुति को स्वीकार कर लिया। एम ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की (जून 2021)।

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई यह सुनिश्चित कर सकता है कि मौजूदा आर ई तथा ए एस ए में से प्रत्येक का यू आई डी ए आई द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा तीन वर्षों के चक्र के भीतर लेखा-परीक्षा की जाए ताकि इसके विनियमों के अनुपालन के लिए पर्याप्त आश्वासन दिया जा सके।***

5.2.2 बायोमेट्रिक आंकड़ें संग्रहीत करने वाले क्लाइंट एप्लिकेशन' सिस्टम का सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सुनिश्चित न किया जाना

यू आई डी ए आई पर्याप्त आश्वासन प्रदान नहीं दे सका कि क्लाइंट सिस्टम का आई एस लेखापरीक्षा अनिवार्य करने के निर्देश (जून 2017) जारी करने के पश्चात भी आर ई तथा ए एस ए द्वारा अप्रैल 2018 से पहले उपयोग किए गए गैर-पंजीकृत बायोमेट्रिक उपकरणों द्वारा आधार धारकों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त तथा संग्रहीत करने का निवारण किया गया।

यू आई डी ए आई ने सभी ए यू ए/ ए एस ए को निर्देश (जनवरी 2017) दिया कि 01 जून 2017 से प्रभावी प्रमाणीकरण अनुरोध केवल "पंजीकृत उपकरणों"[47] के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे जो एस टी क्यू सी (मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन) द्वारा

[47] सार्वजनिक उपकरण बायोमेट्रिक कैप्चर उपकरण हैं जो एप्लिकेशन को आधार के अनुरूप बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करते हैं, जो प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को कूट्लेखित करता है। एक पंजीकृत उपकरण एक सार्वजनिक उपकरण है जिसमें उपकरण की पहचान, संग्रहीत बायोमेट्रिक्स के उपयोग को समाप्त करने तथा एक मानकीकृत आरडी सेवा जैसी सार्वजनिक उपकरण की तुलना में अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं। पंजीकृत उपकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि; (i) किसी भी बाहरी कार्यक्रम के लिए संग्रहीत बायोमेट्रिक्स प्रदान करने तथा इसे हस्ताक्षरित तथा कूट्लेखित करने के लिए कोई तंत्र नहीं होना चाहिए तथा (ii) बायोमेट्रिक्स पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस निजी कुंजी प्राप्त करने के लिए बाहरी कार्यक्रम/जांच के लिए कोई तंत्र नहीं होना चाहिए।

प्रमाणित होगा। पंजीकृत उपकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह अपने अन्दर बायोमेट्रिक कैप्चर, हस्ताक्षरीकरण तथा बायोमेट्रिक कूटलेखन को समाहित करता है। अतः, गैर-पंजीकृत उपकरणों का उपयोग निवासियों की गोपनीयता को खतरे में डालेगा। यू आई डी ए आई ने पुन: निर्देश (फरवरी 2017) जारी किया कि सभी ए यू ए/ के यू ए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उप-ए यू ए या प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्लाइंट एप्लिकेशन आधार धारक के बायोमेट्रिक डेटा को संग्रहीत करने में सक्षम न हों तथा बायोमेट्रिक्स/ पी आई डी ब्लॉक अग्रांत उपकरण/ क्लाइंट स्तर पर कूत्लेखित हों। ए यू ए/ के यू ए को यह सुनिश्चित करना था कि क्लाइंट एप्लिकेशन किसी भी परिस्थिति में संग्रहीत बायोमेट्रिक डेटा में किसी भी प्रमाणीकरण अनुरोध को पुनःनहीं चलाता है तथा एस टी क्यू सी/ सी ई आर टी-आईएन[48] द्वारा प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक द्वारा क्लाइंट एप्लीकेशन की लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट यू आई डी ए आई को प्रस्तुत की जानी थी तथा उप-ए यू ए केवल विधिवत लेखापरीक्षित क्लाइंट एप्लीकेशन के माध्यम से प्रमाणीकरण सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। ए यू ए/ के यू ए को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना था तथा 31 मार्च 2017 तक यू आई डी ए आई को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था क्योंकि गैर-पंजीकृत उपकरणों के उपयोग से निवासियों की गोपनीयता जोखिम में पड़ सकती थी। ए यू ए/ के यू ए के लिए पंजीकृत उपकरण में एप्लिकेशन के उन्नयन को पूरा करने की समय-सीमा प्रारंभ में मई 2017 तक थी तथा बाद में इसे अप्रैल 2018 तक आगे बढाया गया जब सभी गैर-पंजीकृत उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा को सूचित (जुलाई 2020) किया गया कि यू आई डी ए आई को फरवरी 2017 के उनके निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित तिथि के भीतर किसी भी ए यू ए/ ए एस ए से कोई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई थी, पुन: हमारे इस प्रश्न पर की किस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया कि अग्रांत उपकरण ई-केवाईसी बायोमेट्रिक/ पी आई डी को संग्रह करने में सक्षम नहीं थे, लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि आधार(प्रमाणीकरण) विनियमन यह निर्धारित करता है कि क्लाइंट एप्लिकेशन को इनपुट पैरामीटर (अनुरोध करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए आधार संख्या या कोई अन्य पहचान) को हस्तांतरण से पहले पी आई डी ब्लॉक में पैकेज तथा कूट्लेखित करना चाहिए। इसलिए, अनुरोध करने वाली संस्थाओं के लिए आधार अधिनियम के प्रावधानों तथा यू आई डी ए आई द्वारा जारी संबंधित नियमों तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य था।

---

[48] भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक कार्यात्मक संगठन है। भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य के अतिरिक्त सी ई आर टी-इन सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवा भी प्रदान करता है।

यू आई डी ए आई ने पुन: (अक्टूबर 2020) कहा कि देश भर में चल रही सेवाओं को बाधित किए बिना एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन को कार्यान्वित करने के लिए एक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण की आवश्यकता है तथा प्रारंभ में परिकल्पित समय की तुलना में अधिक समय लग सकता है। यू आई डी ए आई ने अप्रैल 2018 तक प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए बायोमेट्रिक पंजीकृत उपकरणों के कार्यान्वयन को पूरा कर लिया साथ ही साथ यह सुनिश्चित करते हुए कि क्लाइंट एप्लिकेशन को भेजने से पूर्व बायोमेट्रिक्स को उपकरण पर ही कूट्लेखित किया गया था। कोई भी आर ई गैर-पंजीकृत उपकरण का उपयोग करके प्रमाणीकरण नहीं कर सकता। इस प्रकार, उसके पश्चात, क्लाइंट एप्लिकेशन पर बायोमेट्रिक डेटा संग्रहीत होने का कोई जोखिम नहीं था। एम ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की (जून 2021)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि में यू आई डी ए आई द्वारा लगभग 385 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन किए गए थे। यह वर्ष 2013-2014 के पश्चात किए गए कुल ई-केवाईसी लेनदेन के 76 प्रतिशत से अधिक था। ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि इनमें से कई लेनदेन ऐसे क्लाइंट एप्लिकेशन का उपयोग करके किए गए होंगे जो निवासियों के बायोमेट्रिक डेटा को संग्रहीत करने में सक्षम थे।

यद्यपि यू आई डी ए आई ने दावा किया था कि उसने अप्रैल 2018 तक प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए बायोमेट्रिक पंजीकृत उपकरणों के कार्यान्वयन को पूरा कर लिया था, यह पुष्टि करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी कि प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों द्वारा अप्रैल 2018 से पूर्व प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए क्लाइंट एप्लिकेशन सिस्टम का उपयोग किया गया, आधार संख्या धारकों का बायोमेट्रिक डेटा संगृहीत करने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार, इस बात का अपर्याप्त आश्वासन था कि ए एस ए/ ए यू ए/ उप-ए यू ए पहले गैर-पंजीकृत उपकरणों के माध्यम से आधार धारकों की व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने तथा संग्रहीत करने के जोखिम को यू आई डी ए आई द्वारा जून 2017 में क्लाइंट पद्धति के आई एस लेखापरीक्षा को अनिवार्य करने के निर्देश जारी करने के पश्चात निवारण किया गया था।

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई आर ई तथा ए एस ए की सेवाओं के निलंबन पर विचार कर सकता है यदि वे विनियम 2016 द्वारा निर्धारित समय पर वार्षिक लेखापरीक्षा कराने में विफल रहते हैं।***

5.2.3 आधार भंडार में आकड़ों की सुरक्षा

आधार नंबर तथा किसी भी जुड़े आधार डेटा को एक अलग आधार डेटा भंडार पर अनिवार्य रूप से संग्रहीत किया जाना था। यू आई डी ए आई तर्कसंगत आश्वासन नहीं दे सका कि प्रतिभागी संस्थाओं ने प्रक्रियाओं का पालन किया।

सी आई डी आर सूचना की सुरक्षा निवासियों की डेटा सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जानकारी की गोपनीयता, प्रमाणिकता तथा उपलब्धता नियंत्रित तरीके से होनी चाहिए। यू आई डी ए आई ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करके एस टी क्यू सी से आई एस ओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त किया है। यू आई डी ए आई - सी आई डी आर को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एन सी आई आई पी सी) द्वारा "संरक्षित प्रणाली" के रूप में भी घोषित किया गया है जिससे आई टी सुरक्षा आश्वासन की एक अतिरिक्त परत जुड़ गयी है। यद्यपि, प्रमाणीकरण भागीदारों सहित पूरे आधार पारिस्थितिकी तंत्र में समान स्तर के सुरक्षा उपायों के साथ आधार डेटा की सुरक्षा को बनाए रखना होगा।

आधार संख्या को संग्रहीत करने के लिए सुरक्षा स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से, यू आई डी ए आई ने सभी ए यू ए / के यू ए/ उप-ए यू ए तथा अन्य संस्थाएं जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आधार संख्या एकत्र तथा संग्रहीत कर रही हैं उनको आधार भंडार[49] को कार्यान्वित करना अनिवार्य (जुलाई 2017) किया है। यू आई डी ए आई ने आधार भंडार के कार्यान्वयन की प्रक्रिया भी निर्धारित की है तथा गैर-अनुपालन पर आधार अधिनियम के सामान्य दंड प्रावधानों को अध्यारोपित करेगा। इसके अतिरिक्त, यू आई डी ए आई ए यू ए/ के यू ए अनुबंध में निर्धारित किये गये प्रतिबंधों के अनुसार वित्तीय दंड भी अध्यारोपित कर सकता है। चूंकि संस्थाओं को आधार संख्या को जनसांख्यिकीय सूचना तथा आधार धारक की तस्वीर के साथ संग्रह करने की अनुमति दी गई थी, यू आई डी ए आई ने सुरक्षा तथा सुरक्षा उपायों को निर्धारित किया था जिनका पालन करने के लिए संस्थाओं को आधार भंडार को कार्यान्वित करना आवश्यक था।

आधार डेटा भंडार को कार्यान्वित करने के लिए उपयोगकर्ता संस्थाओं/ इकाइयों द्वारा निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए स्थापित उपरोक्त आवश्यकताओं तथा प्रणालियों के अनुपालन के सत्यापन के लिए यू आई डी ए आई ने लेखापरीक्षा (जुलाई 2020) को सूचित किया कि आर ई को यह सुनिश्चित करना था कि आधार संख्याओं के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। यू आई डी ए आई ने आधार डेटा भंडार के कूट्लेखन के लिए कोई कूट्लेखन एल्गोरिदम या प्रमुख सामर्थ्य निर्दिष्ट नहीं की है। पुनः उल्लेख किया

---

[49] आधार डेटा भंडार आधार अधिनियम तथा विनियम, 2016 के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ए यू ए/के यू ए/ उप-ए यू ए/ या किसी अन्य संस्थाओं द्वारा एकत्र किए गए सभी आधार संख्याओं के लिए एक केंद्रीकृत भंडारण है। यह केवल संबंधित संस्थाओं के बुनियादी अवसंरचना के अंतर्गत एक सुरक्षित प्रणाली है जिसे आवश्यकता के आधार पर ही खोला जा सकता है।

(अक्टूबर 2020) कि आधार डेटा भंडार (ए डी वी) एक विशिष्ट उत्पाद नहीं था बल्कि एक सुरक्षित तरीके से आधार संख्या के भंडारण के लिए एक प्रक्रिया तथा अवधारणा थी तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी आर ई द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई थी। एम ई आई टी वाई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर यू आई डी ए आई के उत्तरों से सहमति व्यक्त की (जून 2021)।

उपरोक्त स्थिति से संकेत मिलता है कि यू आई डी ए आई ने इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई उपाय/ प्रणाली स्थापित नहीं की थी कि प्रतिभागी संस्थाओं ने प्रक्रियाओं का पालन किया है तथा यह काफी हद तक उन्हें प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर निर्भर है। उन्होंने संतोषजनक आश्वासन प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुपालन का कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया था।

आधार संख्या भारतीयों के लिए जीवन भर की पहचान है और इसका उपयोग वित्तीय लेनदेन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है तथा इसलिए आधार संख्याओं तक अनाधिकृत पहुंच का कई तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए यू आई डी ए आई उपयोगकर्ता संगठनों द्वारा संग्रहीत डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवधिक लेखापरीक्षा स्थापित करके आधार डेटा भंडार के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकता है। इसे अधिनियम के अनुसार तथा ए यू ए/ के यू ए के साथ अनुबंध में प्रतिबंधों के अनुसार गैर-अनुपालन को से सख्ती से सुलझाना चाहिए।

अनुशंसा: ***यू आई डी ए आई आधार डेटा भंडार प्रक्रिया के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकता है तथा स्वतंत्र आवधिक लेखापरीक्षा स्थापित/ सुनिश्चित कर सकता है जिससे उपयोगकर्ता संगठनों द्वारा आधार संख्या संग्रहण डेटा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। यू आई डी ए आई अधिनियम के अनुसार निर्देशों का पालन न करने के प्रकरणों को ए यू ए/ के यू ए (प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता संस्थाओं तथा ई-केवाईसी उपयोगकर्ता संस्थाओं) के साथ अनुबंध में प्रतिबंधों के अनुसार सुलझा सकता है।***